

विभिन्न सेवा संवर्ग संघर्ष समिति

- | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 बिहार प्रशासनिक सेवा संघ | 7 बिहार पुलिस एसोशियेशन | 13 बिहार प्रदेश फार्मसी शिक्षक संघ |
| 2 बिहार पुलिस सर्विस एसोसियेशन | 8 बिहार योजना एवं विकास सेवा संघ | 14 बिहार कृषि सेवा संघ |
| 3 बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ | 9 बिहार सचिवालय सेवा संघ | 15 बिहार सांख्यिकी सेवा संघ |
| 4 बिहार अभियंत्रण सेवा संघ | 10 बिहार पुलिस मेन्स एसोशियेशन | 16 बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संघ |
| 5 बिहार वित्त सेवा संघ | 11 बिहार वित्त लेखा सेवा संघ | 17 बिहार आशुलिपिक सेवा संघ |
| 6 बिहार पशुपालन सर्विस एसोसियेशन | 12 बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संघ | |

पत्रांक :- ५५

पटना, दिनांक :- २९/५/२०१५

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री,
बिहार सरकार।

विषय :- काला बिल्ला लगाने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक उपरोक्त वर्णित सेवा संवर्ग के निर्णय के आलोक में सभी सेवा संघों द्वारा काला बिल्ला लगाकर आज दिनांक 29.05.2015 को सरकारी कार्य का निष्पादन किया गया। काला बिल्ला लगाने का प्रयोजन का संदर्भ इस प्रकार है :-

- (1) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या-61/2002 एम0 नागराज एवं अन्य बनाम् भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 19.10.2006 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक-11635 दिनांक 21.08.2012 द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मियों को प्रोन्नति में आरक्षण की सुविधा परिणामी वरीयता के साथ अगले आदेश तक जारी रखने का निर्णय लिया गया। इस संकल्प के विरुद्ध सुशील कुमार सिंह व अन्य के द्वारा समादेशवाद संख्या-19114/2012 दायर किया गया जिसमें दिनांक 05.08.2014 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त संकल्प पर रोक लगा दी जिसके बाद सामान्य प्रशासन ने ज्ञा0 2012 दिनांक 12.08.2014 द्वारा राज्य सरकार की सभी सेवाओं एवं पदों (क्षेत्रीय कार्यालयों सहित) पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक पर रोक लगायी गई।

इस मामले में दिनांक 04.05.2015 को माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद सरकार के द्वारा दिनांक 12.08.2014 को प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही पर रोक न तो हटाई गई है और न ही प्रोन्नति देने की कार्रवाई प्रारम्भ की गई है बल्कि सरकार के द्वारा LPA दायर की गई है।

इसके कारण अनु0जाति/जनजाति के साथ-साथ अन्य सभी वर्ग के पदाधिकारियों का प्रोन्नति बाधित है तथा वे सेवानिवृत्त हो रहे हैं जिन्हें प्रोन्नति के साथ-साथ पेंशन की राशि का भी नुकसान हो रहा है।

आंदोलन का अगला चरण दिनांक 07.06.2015 को एक दिवसीय उपवास/धरना कारगिल चौक पर दिया जाएगा। फिर भी प्रोन्नति समिति की बैठक पर रोक हटाई नहीं जाती है, तो आगे के आंदोलन पर निर्णय से संसूचित की जाएगी।

ह0/-

(सुशील कुमार)

संयोजक
सेवा संवर्ग संघर्ष मोर्चा

ह0/-

(सुरेश कुमार शर्मा)

अध्यक्ष
सेवा संवर्ग संघर्ष समिति

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(सुशील कुमार)

संयोजक

प्रतिलिपि :- सम्पादक सभी दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी/अंग्रेजी)/सभी दूरदर्शन को प्रकाशनार्थ एवं प्रसारणार्थ प्रेषित।

07/06/15/15

(सुशील कुमार)

संयोजक